भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2791

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में चालू बांध

2791. श्री संजय दीना पाटिल:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री अमर शरदराव काले:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में कुल कितने बांध चालू हैं;

(ख) क्या सरकार ने बांधों के जीवन-अवधि और प्रचालन का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जल भंडारण और सूखे को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में बांध अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का सूखे की स्थिति पर विचार करते हुए महाराष्ट्र में जल भंडारण हेतु नए बांधों का निर्माण करने पर विचार करने का है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में समयबद्ध तरीके से बांधों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): महाराष्ट्र राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संकलित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (विनिर्दिष्ट) 2023 के अनुसार, महाराष्ट्र में 2333 पूर्ण और कार्यात्मक बड़े बांध हैं।

(ख): सामान्य रूप से किसी बांध का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि उसकी संरचनात्मक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता तथा यह लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए किसी प्रकार का संकट उत्पन्न किए बिना अपने वांछित कार्यों का निष्पादन करता रहता है।

बांध सुरक्षा संबंधी मुद्दों को समग्र रूप से हल करने हेतु, केंद्र सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान 30 दिसंबर 2021 से लागू हैं। अधिनियम का उद्देश्य बांध टूटने से होने वाली आपदाओं की रोकथाम हेतु विनिर्दिष्ट बांध की मरम्मत की उचित निगरानी, निरीक्षण,संचालन और रख-रखाव करना तथा उसकी सुरक्षित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार, बांध मालिक अपने बांधो की स्थिति का आकलन करने और बांधों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वर्ष अपने बांधों का मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात निरीक्षण करते हैं।

(ग): महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग के पास 241 बांध परियोजनाएं हैं जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं का डिजाइन भंडारण 48,421 मिलियन घन मीटर है, जिसमें से लगभग 43,478 मिलियन घन मीटर भंडारण की क्षमता निर्मित कर ली गई है।

(घ): महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि गोदावरी नदी की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों (कोंकण) और वैनगंगा उप बेसिन में सामान्य से अधिक जल उपस्थित है। इसलिए, महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के पानी को अंतर राज्य नदी लिंक के माध्यम से सूखा प्लावन क्षेत्रों वाली तापी और गोदावरी नदी की ओर मोड़ने की योजना तैयार की है।

(ङ): भारत सरकार ने जन कल्याण हेतु चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय परियोजना की एक स्कीम मंजूर कर ली है, जिसका कार्यान्वयन XIवीं योजना के दौरान किया जाएगा। राष्ट्रीय परियोजनाओं के सिंचाई और पेयजल घटक की लागत हेतु केन्द्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया है। इन 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से 1 परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में जारी 241 सिंचाई परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत वित्त पोषित किया जाता है, 91 परियोजनाओं को विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत जबकि शेष परियोजनाओं को राज्य बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

******